कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 290/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 14.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 14.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना-कंधरापुर:-अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का विवरण-

दिनांक 13..08.2025 को व0उ0नि0 रमेश कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति रामचेत निषाद पुत्र मोतीलाल निषाद निवासी भोर्रामकबूलपुर थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ उम्र करीब 42 वर्ष को जोलहापुर पुलिया मोड़ से समय करीब 22.25 बजे एक अदद नाजायज देशी तमंचा .315 बोर व 01अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 255/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारअभियुक्त का विवरण:-

रामचेत निषाद पुत्र मोतीलाल निषाद निवासी भोर्रामकबूलपुर थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ उम्र करीब 42 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:-

एक अदद नाजायज देशी तमंचा .315 बोर व 01अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 255/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना/जनपद	
1	115/20	379/411 भादवि	कन्धरापुर	आजमगढ़
2	0006/21	379/411 भादवि	कप्तानगंज	आजमगढ़
3	0006/22	60 आबकारी अधि0	कन्धरापुर	आजमगढ़
4	186/22	25(1-ए) / 3	कन्धरापुर	आजमगढ़
5	50/23	3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0	कन्धरापुर	आजमगढ़
6	337/23	60 आबकारी अधि0	कोतवाली	आजमगढ़
7	278/23	3(1)यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट	कन्धरापुर	आजमगढ़
8	174/2024	303(2)317(2) BNS	कन्धरापुर	आजमगढ़
9	229/2024	303(4)317(2) BNS	कन्धरापुर	आजमगढ़
10	126/2024	8/20 NDPS	कन्धरापुर	आजमगढ़
11	251/2024	3/25 आर्म्स एक्ट	कन्धरापुर	आजमगढ
12	94/2025	3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0	रौनापार	आजमगढ

13	100/2025	3/25 आर्म्स एक्ट	रौनापार	आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.व0उ0नि0 रमेश कुमार थाना कन्धरापुर, आजमगढ़।
2. हे0का0 भानू यादव थाना कन्धरापुर, आजमगढ़।
3. का0 विकाश कन्नौजिया थाना कन्धरापुर, आजमगढ़।
4. का0 उपेन्द्र कन्नौजिया थाना कन्धरापुर, आजमगढ़।

02.थाना-जीयनपुर:-युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 23.07.2025 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि मेरी नाबालिग पुत्री जो दिनांक 22.07.2025 को समय 07 बजे घर से स्कूल के लिए निकली थी लेकिन कहीं चली गई मैने बहुत ज्यादा खोजबीन किया मगर कुछ पता नही चला। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 290/2025 धारा 137(2) BNS बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 13.08.2025 को उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय मय हमराह द्वारा अपहृता की बरामदगी व मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सरफराज अहमद पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी बसारतपुर इस्लामपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र करीब 18 वर्ष को समय करीब 18.25 बजे गिरफ्तार किया गया। विवेचना के क्रम के क्रम में पीडिता की बरामदगी, बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 87/65(1) BNS व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सरफराज अहमद पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी बसारतपुर इस्लामपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र करीब 18 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 290/2025 धारा 137(2) BNS बढ़ोतरी धारा 87/65(1) BNS व 4(2) पाक्सो एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 संजय कुमार वर्मा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. म0का0 प्रियंका मलिक थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

03.थाना-महराजगंज:- अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी की विवरण:-

दिनांक 13.08.25 को उ0नि0 ओमकार तिवारी मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति राजू यादव पुत्र पतिराज यादव निवासी विशुनपुर राढ़ी का पुरा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ उम्र 44 वर्ष को एक अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व 01

अदद कारतूस 315 बोर के साथ समय करीब 19.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 223/25 धारा 3/25 A. ACT पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 223/25 धारा 3/25 A. ACT थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.राजू यादव पुत्र पतिराज यादव निवासी विशुनपुर राढ़ी का पुरा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ उम्र 44 वर्ष

बरामदगी-

एक अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर जिन्दा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. उ0नि0 ओमकार थाना महराजगंज जनपद आजमगढ

02. हे0का0 दीपक सिंह , थाना महराजगंज जनपद आजमगढ

03. का0 फुलचन्द यादव थाना महराजगंज जनपद आजमगढ

04. का0 संतपाल थाना महराजगंज जनपद आजमगढ

थाना – सरायमीर जनपद आजमगढ़

साइबर फ्राड के 24,310 रूपये वापस कराया गया

पूर्व की घटना:-

दिनांक 21.05.2024 को आवेदक शिवा सिंह पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम गोकुलपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा गूगल सर्च इंजन के माध्यम से गाड़ी ट्रांसपोर्टर का नम्बर प्राप्त किया गया था जिसके बताये खाते में 45,000 रू0 ट्रांसफर कर दिया गया था किन्तु ट्रांसपोर्टर द्वारा गाड़ी ट्रांसपोर्ट नहीं की गयी । फ्राड होने पर आवेदक द्वारा साइबर पोर्टल पर शिकायत सं0 33105240064278 पंजीकृत करायी गयी । उक्त साइबर पोर्टल पर शिकायत से 24,310 रू0 HDFC बैंक व 450 रू0 बैंक ऑफ बड़ौदा मे होल्ड हो गये है।

उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही कराते हुये साईबर हेल्पडेस्क कम्प्यूटर आपरेटर सौरभ थाना सरायमीर आजमगढ़ द्वारा HDFC बैंक में होल्ड हुए 24,310 रूपये आवेदक के खाते में दिनांक 14.08.2025 को वापस करा दिया गया तथा शेष 450 रू0 की रिकवरी प्रक्रिया प्रचलित हैं ।

पुलिस टीम:-

1. कम्प्यूटर ऑपरेट सौरभ थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

साइबर ठगी करने वाले 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता कानपुर नगर बिल्हौर से गिरफ्तार, जिनके कब्जे से *02 अदद मोबाइल मय 2 अदद सिम, नगद 80 हजार रूपये नगद, 1 अदद पासबुक व 02 अदद आधारकार्ड बरामद*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन , अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन के कुशल मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती आस्था जायसवाल के पर्यवेक्षण में साइबर अपराध व साइबर अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में दिनांक- 14.08.2025 को थाना साइबर क्राइम जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा लोगों को विभिन्न प्रकार से खुद को दूर का रिश्तेदार बता कर अपने झाँसे में लेकर पैसे मँगा लेने का कार्य किया जाता था जिसका खुलासा करते हुये 02 नफर अभियुक्त/अभियुक्ता अशोक नगर थाना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर में किराये के मकान से मोबाइल नम्बर के लोकेशन व मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण /घटना का अनावरण:-

➡ वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 26.07.2025 को एक लिखित तहरीर दी गयी जिसमें कुछ लड़कियों द्वारा खुद को जान पहचान व दूर का रिश्तेदार बताकर अपने झाँसे में लेकर कुल 6 लाख 81 हजार रुपये की ठगी गयी थी जिसके सम्बन्ध में साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ पर मु0अ0सं 18/2025 पंजीकृत किया गया जिसके विवेचना के क्रम मे विभिन्न मोबाइल नम्बरो व बैंक खातों की लोकेशन / जांच एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 14.08.2025 को थाना साइबर क्राइम जनपद आजमगढ़ के प्रभारी निरीक्षक एवं मय साइबर टीम की सहायता से अशोक नगर थाना क्षेत्र बिल्हौर जनपद कानपुर नगर से दो 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीका:-

➡गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इनके द्वारा रेन्डम काल कर के लोगों से मीठी-मीठी बातें कर के कुछ लोगों को खुद के जान-पहचान व दूर का रिश्तेदार बताकर, शादी का झाँसा देकर एवं जमीन की रजिस्ट्री कराने के नाम पर अपने जाल में फँसाकर कर जनसेवा केन्द्रों पर पैसे मँगाकर निकाल लेते थे।

विवेचक मुकदमा :- निरीक्षक विभा पाण्डेय

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण:-

1. अजय पाल पुत्र सुखवासी पाल निवासी गदनपुर चैन अमिलिया आशा नन्द थाना समसाबाद जनपद फर्रूखाबाद उम्र 33 वर्ष हाल पता अशोक नगर (किराये का मकान) थाना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर।
2. सीता देवी पत्नी अजय पाल निवासी गदनपुर चैन अमिलिया आशा नन्द थाना समसाबाद जनपद फर्रूखाबाद उम्र 30 वर्ष हाल पता अशोक नगर (किराये का मकान) थाना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी का विवरण:-

1. 02 अदद मोबाइल मय सिम कार्ड
2. 80,000 रुपये नगद
3. 01 अदद पासबुक
4. 02 अदद आधार कार्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र प्रताप सिंह थाना साइबर थाना आजमगढ़.
2. का0 एजाज खान, का0 संजय कुमार, का0 महिपाल यादव, का0 सभाजीत मौर्या व म0का0 संज्ञा देवी साइबर थाना आजमगढ़।